दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 20.03.2024

<u>वै.अ.(परि.न्या.) 88/2024</u>

सुभाष चंद ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री उदित गुप्ता और श्री मनन अग्रवाल, अधिवक्तागण।

बनाम

दीपा ..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शेखर

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[फिजिकल सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

<u>न्या. राजीव शेखर (मौखिक)</u>

<u>सि.वि. सं. 17281/2024</u>

1. उचित अपवादों के अधीन, अनुमति दी गई।

<u>वै.अ.(परि.न्या.) 88/2024</u>

2. यह अपील विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 17.02.2024 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है।

3. विवादित निर्णय के माध्यम से विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झ क) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अपीलार्थी ने क्रूरता का मामला बनाया था, लेकिन वह साक्षी कठघरे में नहीं आया। अपने आरोपों के समर्थन में उसने जो एकमात्र गवाह पेश किया, वह उसका अपना भाई, श्री आकाश बाबू (अभि.सा.-1) था।

5. विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यद्यपि अपीलार्थी को लकवा का दौरा पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कर सकता था।

5.1 इसके अतिरिक्त, विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू को छोड़कर यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी के मुख्तारनामा नामित, यानी श्री आकाश बाबू (अभि.सा.-1) को तलाक याचिका में क्रूरता के बारे में किए गए दावों के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।

6. माना कि दंपत्ति के अलावा अपीलार्थी के परिवार के अन्य सदस्य भी थे, जिनमें श्री आकाश बाबू भी शामिल थे, जो वैवाहिक घर में रहते थे। हालांकि, माना जाता है कि श्री आकाश बाबू (अभि.सा.-1) 2016 में घर से बाहर चले गए थे।

6.1 अपीलार्थी के वकील के अनुसार, दंपत्ति 2018 से साथ नहीं रह रहे हैं। इसलिए, 2016-2018 के दौरान दंपत्ति के बीच क्या हुआ, इसकी जानकारी श्री आकाश बाबू (अभि.सा.-1) को नहीं थी। विद्वान प्रधान न्यायाधीश के उपर्युक्त पहलुओं के संबंध में निष्कर्ष विवादित निर्णय के पैराग्राफ 8(क), 8(ख), 8(ग), 8(घ), 8(ड), 8(च) और 8(छ) में समाहित हैं। सुविधा के लिए, उक्त पैरा को आगे प्रस्तुत किया गया है:-

> *"क) शुरुआत में, क्रूरता के आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने साक्षी कठघरे में पेश होने का निर्णय नहीं किया। यह उनके छोटे भाई/अटर्नी आकाश बाबू हैं जो उनकी ओर से गवाही देने आए थे। याचिकाकर्ता जाहिर तौर पर इस कारण गवाही देने नहीं आए कि उन्हें 14.06.2021 को लकवा का दौरा पड़ा था और तब से वे 'लगभग बिस्तर पर पड़े हुए'*

हैं। उनके संबंध में, आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा, "मुझे याचिकाकर्ता के अटर्नी के रूप में पेश होने के लिए अधिकृत किया गया है क्योंकि वह ठीक नहीं हैं। उन्हें वर्ष 2021 में लकवा मार गया था। उनका मामला इससे पहले दायर किया गया था।" हालांकि, अभिलेख पर मौजूद सामग्री मुझे यह मानने के लिए प्रेरित नहीं करती कि वह मौखिक साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं है। उन्हें चलने-फिरने में समस्या हो सकती है। लेकिन, मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत ऐसी है कि वे न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते। मैं ऐसा कई कारणों से कह रहा हूं। उन्हें 14.06.2021 को लकवा का दौरा पडा था। लेकिन, याचिका के अनुसार, ठीक दो महीने बाद 20.08.2021 को वह अपनी सुरक्षा के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने में व्यस्त था और जब प्रत्यर्थी और बेटे ने उसे ऐसा करने नहीं दिया तो उसने खुद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। इस संबंध में, अपनी याचिका के पैरा सं. 20 में, उन्होंने कहा, "पहले 30.07.2020 को और फिर 20.08.2021 को याचिकाकर्ता अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था, लेकिन प्रत्यर्थी और उसके बेटे ने सीसीटीवी कैमरा लगाने पर आपत्ति जताई और याचिकाकर्ता की पिटाई शुरू कर दी, इसलिए याचिकाकर्ता को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल करने के लिए मजबूर होना पडा, लेकिन पुलिस ने यह कहकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह एक पारिवारिक मामला है।" दूसरी बात, याचिका (पैरा सं. 16) में दिए गए कथनों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी और बेटे नक्षत्र के खिलाफ दिनांक 29.09.2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की पुलिस शिकायतों की प्रतियां दिनांक

20.08.2021, 12.03.2022 और 14.03.2022 अभिलेख में हैं। पुलिस में शिकायत करके अपनी शिकायतें दर्ज कराने का मतलब है कि वह चीजों को अच्छी तरह से समझ सकता है। तीसरा, याचिकाकर्ता की दिनांक 20.08.2021, 12.03.2022 और 14.03.2022 की पुलिस शिकायतों की प्रतियां उसके (याचिकाकर्ता के) हस्ताक्षरों के साथ हैं। इन पुलिस शिकायतों की लिखावट के तरीके से दूर-दूर तक यह संकेत नहीं मिलता है कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति इतनी दयनीय है कि वह मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता। लेकिन फिर यह दावा किया जाता है कि यह आकाश बाबू ही था जो याचिकाकर्ता के लिए पुलिस शिकायतें लिखता था। इस संबंध में, अपनी प्रतिपरीक्षा में, आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने दावा किया कि पुलिस शिकायतें उसकी लिखावट में थीं। फिर भी, इन पुलिस शिकायतों पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों का तरीका और शैली स्पष्ट रूप से काफी धाराप्रवाह है। गंभीर बीमारी हस्ताक्षरों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण गिरावट पैदा करती है। लेकिन, याचिकाकर्ता के मामले में ऐसा नहीं लगता है। चौथा, मुकदमे में आकाश बाबू (अभि.सा. 1) को याचिकाकर्ता की तीन तस्वीरें (प्र. अभि.सा.-1/प्रति.-1) दिखाई गईं। आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने स्वीकार किया कि ये याचिकाकर्ता की तस्वीरें थीं। मैंने तस्वीरें देखी हैं। इन तस्वीरों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि याचिकाकर्ता की हालत वैसी है जैसी उसके छोटे भाई ने बताई है। उपर्युक्त असंख्य कारणों से, मैं यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि याचिकाकर्ता आकर अपना मौखिक साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं है।

ख) आकाश बाबू याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत घटनाओं/तथ्यों के संबंध में गवाही देने के लिए सक्षम नहीं थे {जानकी वशदेव बोजवानी व अन्य बनाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड व अन्य, (2005) 2 एससीसी 217 देखें}। केवल पीडित पति या पत्नी ही क्रूरता से संबंधित घटनाओं/तथ्यों और उन पर उनके प्रभाव के संबंध में गवाही दे सकते हैं। एक अटार्नी अपने प्रमुख पर क्रूरता के कथित उदाहरणों और उसके (प्रमुख) पर पडने वाले प्रभाव के बारे में साक्ष्य नहीं दे सकता है।

ग) किसी भी स्थिति में, आकाश बाबू (अभि.सा. 1) को महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि कम से कम वर्ष 2016 से उन्हें पक्षकारगण के वैवाहिक घर तक कोई पहुँच नहीं थी। उन्होंने गवाही दी, "यह सही है कि मुझे घर सं. 2108, दूसरी मंजिल, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में जाने की अनुमति नहीं है... यह सही है कि याचिकाकर्ता के विवाह के समय मैं वर्ष 2016 तक उनके साथ रह रहा था।" उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि 'उन्हें याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच हुई सभी बातचीत के बारे में जानकारी नहीं थी।' जब उनसे याचिकाकर्ता के आरोपों के बारे में पूछा गया, जैसा कि याचिका और साक्ष्य शपथ पत्र में बताया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपने भाइयों के लालच को पूरा करने के लिए उनसे (याचिकाकर्ता) पैसे की मांग की गई थी, तो आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने अनभिज्ञता जताई। पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न होने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने गवाही दी कि उसने

याचिकाकर्ता से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त की है; और उसने आगे यह भी गवाही दी कि वह यह नहीं बता सकता कि उनके बीच शारीरिक संबंध कब समाप्त हुए। याचिका में दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता अपने भाई-बहनों से आर्थिक मदद लेता था, और जब इसके प्रमाण के बारे में पूछा गया तो आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने गवाही दी कि केवल याचिकाकर्ता ही इसका प्रमाण दे सकता है। इसलिए मुद्दा यह है कि आकाश बाबू (अभि.सा. 1) को कम से कम वर्ष 2016 से पति-पत्नी की दिन-प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी नहीं थी और उन्हें उनके पारस्परिक संबंधों और बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार उनके साक्ष्य क्रूरता और उसके भाई सुभाष चंद पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ भी साबित नहीं करते हैं। किसी भी स्थिति में, वर्ष 2016 के बाद हुई वृत्तांत और घटनाओं के बारे में उनके मौखिक साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं है और इसे कुछ भी नहीं माना जाता है।

घ) यह कहना दुहराना होगा कि आकाश बाबू (अभि.सा. 1) को कम से कम वर्ष 2016 से पक्षकारों के वैवाहिक घर में जाने की अनुमति नहीं है। वह वर्ष 2016 के बाद हुई वृत्तांत/घटनाओं के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। वर्ष 2016 के बाद हुई वृत्तांत/घटनाओं के बारे में उसकी जानकारी का स्रोत केवल सुनी-सुनाई बातें ही हो सकती हैं। सुमन सिंह बनाम संजय सिंह, (2017) 4 एससीसी 85 में यह देखा गया था, "याचिका दायर करने की तिथि से 8-10 वर्ष पहले हुई कुछ अलग-अलग घटनाओं पर तलाक की मांग करने वाली याचिका, ऐसी घटनाओं के घटित होने के 10 वर्ष या उससे अधिक समय बाद तलाक लेने के लिए कार्रवाई का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं

कर सकती। कथित घटनाएं आवर्ती प्रकृति की या निरंतर होने वाली होनी चाहिए और वे याचिका दायर करने के समय के निकट होनी चाहिए।"

ड) <u>याचिका में लगाए गए आरोप, एक या दो को छोड़कर, बहुत सामान्य, अस्पष्ट और व्यापक प्रकृति के हैं। याचिका में या आकाश बाबू के साक्ष्य में किसी भी घटना की कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं की गई है।</u> याचिका में यह कथन कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के साथ झगड़ा करता था, उसे अपने पिता की देखभाल न करने के लिए कहता था, अपने भाइयों के लिए उससे पैसे मांगता था, उसे अपने पिता से अलग आवास खरीदने के लिए पैसे मांगने के लिए कहता था, उत्पात मचाता था, घर के काम करने से मना करता था, उसका हालचाल नहीं पूछता था, उसे और उसके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से बदनाम करता था, उसके द्वारा किए गए कार्यों में हमेशा कमियां निकालता था, उसे घर से बाहर निकालने और उसके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था, नियमित रूप से उसे मारता-पीटता था और गाली देता था, ये सभी बातें बहुत सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति की हैं। सामान्य आरोप तलाक के लिए कोई आधार नहीं दे सकते {सुमन सिंह (पूर्वोक्त) देखें}। इस बात का कोई विवरण नहीं है कि ऐसी घटनाएँ कब हुईं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किसने देखा और याचिकाकर्ता ने वास्तव में क्या कहा आदि।

च) <u>26.09.2018 की एक विशेष घटना का हवाला दिया गया है, जब प्रत्यर्थी कथित रूप से अपने छोटे बेटे का प्रवेश रद्द करवाने के लिए उसके स्कूल गई थी, ताकि वह एक दुकान पर काम करके उसके लिए 5,000/- - 7,000/- रुपए प्रति माह ला</u>

सके, लेकिन याचिकाकर्ता के हस्तक्षेप के कारण वह असफल रही। प्रत्यर्थी का रुख, जैसा कि अभि.सा.1 को दिए गए सुझावों से स्पष्ट है, यह है कि उसने प्रवेश रद्द करने की मांग की थी क्योंकि स्कूल हिंदी माध्यम का था और वह चाहती थी कि उसका बेटा बेहतर भविष्य के लिए कॉन्वेंट स्कूल में पढे। इस पर, आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने गवाही दी कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि स्कूल हिंदी माध्यम का था या नहीं। इस मामले में आकाश बाबू (अभि.सा. 1) के मौखिक साक्ष्य से कुछ भी साबित नहीं होता है। यह याचिकाकर्ता ही था जिसने कथित तौर पर हस्तक्षेप किया था और इसलिए केवल वही इस घटना की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में बयान दे सकता था। इसके अतिरिक्त, यह नहीं दिखाया या साबित किया गया है कि क्या प्रत्यर्थी ने वास्तव में अपने नाबालिग बेटे को नौकरी पर रखने के लिए किसी दुकानदार से बात की थी या उससे संपर्क किया था। इसलिए यह आरोप कि वह चाहती थी कि वह दुकान पर काम करे, अप्रमाणित है। प्रत्यर्थी द्वारा 13.06.2019 को जबरन एयर कंडीशनर लगाने तथा अपने पति को 30.07.2020 और 20.08.2021 को सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने देने के अन्य विशिष्ट आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं। अभि.सा. 1 आकाश बाबू ने इन घटनाओं के बारे में केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही जानकारी प्राप्त की है। उसे इन घटनाओं के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद दावा किया गया कि बेटा नक्षत्र अपनी मां के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार करता है और 70,000 रुपए प्रति माह कमाता है और इसके बावजूद उन्होंने घर और अन्य जरूरी खर्चों के लिए एक पैसा देने से इनकार कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्यर्थी स्नातक है। आकाश बाबू (अभि.सा. 1) ने अपने

साक्ष्य में स्वीकार किया कि उनके पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रत्यर्थी और उसका बेटा ऑनलाइन कारोबार से 70,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में तब पता चला जब 'वे घर में ऑनलाइन कारोबार के बारे में ऊंची आवाज में बात करते थे।' लेकिन समस्या यह है कि आकाश बाबू (अभि.सा. 1) को कम से कम वर्ष 2016 से पक्षकारगण के वैवाहिक घर में कोई पहुंच नहीं है और इसलिए उन्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिला। दूसरी बात, कोई व्यक्ति केवल और केवल अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शेखी बघारने के आधार पर अमीर नहीं बनता और हजारों रुपए कमाने नहीं लगता।

छ) <u>प्रत्यर्थी (प्रति.सा. 1) ने अपने मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया कि उसने अपने पति को रसोई में प्रवेश करने से रोकने के लिए महिला न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। एक अकेली और एकांत घटना विवाह को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।</u> इसके अतिरिक्त, केवल पीड़ित पति या पत्नी को ही आकर यह बताना चाहिए कि इस घटना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा।"

[हमारे द्वारा जोर दिया गया]

7. अभिलेख के अवलोकन के पश्चात, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य की सराहना की है तथा उसके पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क्रूरता से संबंधित दावे सिद्ध नहीं हुए हैं।

7.1 एकाध घटना को छोड़कर, जिसमें प्रत्यर्थी ने महिला न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को रसोई में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवेदन किया है, ऐसा

प्रतीत होता है कि ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी पर मानसिक या शारीरिक क्रूरता की है।

8. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी की आयु लगभग 56 वर्ष है। अपीलार्थी के वकील ने हमें बताया है कि प्रत्यर्थी की आयु लगभग 52 वर्ष है।

8.1 अपीलार्थी के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि प्रत्यर्थी गृहिणी है तथा उस मकान के एक कमरे में रह रही है जहाँ वैवाहिक घर स्थित है।

9. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि दम्पति का विवाह 03.05.1995 को हुआ था तथा विवाह से उनके दो पुत्र हैं, जिनकी आयु 27 वर्ष तथा 23 वर्ष है।

10. हमें यह आभास होता है कि प्रत्यर्थी के पास वर्तमान में जिस स्थान पर निवास कर रही है, उसके अलावा कोई साधन या निवास नहीं है।

11. अपीलार्थी के वकील ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत याचिका में भरण-पोषण के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

12. अतः उपर्युक्त कारणों से हम आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

13. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

राजीव शेखर
(न्यायाधीश)

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

20 मार्च, 2024

केडी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*